बदलाव • जनहित याचिका पर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

वोटर आईडी-आधार जुड़ेगा, बूथवार डेटा जारी करने पर चर्चा करेगा निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर बूथवार मत प्रतिशत अपलोड करने पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही वोटर आईडी (इपिक) को आधार से जोड़ने पर भी तकनीकी परामर्श शुरू होगा। आयोग ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है। सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ एडीआर और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के 48 घंटे में बूथवार वोटिंग के आंकड़े व फॉर्म 17सी आयोग वेबसाइट पर अपलोड करे। याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी और प्रशांत भूषण ने कहा, कई मामलों में चुनाव के बाद दिए आंकड़े, मतदान के दिन दिए आंकड़े अलग होते हैं।

शेष | पेज 7

आयोग-गृहमंत्रालय की बैठक में फैसला, आधार से वोटर आईडी को जोड़ने की तकनीकी प्रक्रिया शुरू

आयोग वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए यूआईडीएआई से तकनीकी परामर्श शुरू करेगा। मंगलवार को आयोग और गृह मंत्रालय की बैठक में तय हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 326 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाएगा।

- भारतीय नागरिक, 18 वर्ष या अधिक की आयु होने, मानसिक विकार से ग्रस्त न होने, देश में मतदान के लिए अयोग्य घोषित न होने और देश के किसी बूथ का निवासी होने पर यूनिक इपिक नंबर मिलेगा। इसे आधार से जोड़ेंगे।
- अनुच्छेद 326 मताधिकार से जुड़ा है जबकि आधार व्यक्ति की पहचान है। आधार उनका भी हो सकता है जिन्हें मताधिकार नहीं।
- सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है मतदाता आधार को स्वेच्छा से जुड़वा सकते हैं। वहीं, बीते वर्षों में 64 करोड़ मतदाताओं ने आयोग को अपने आधार का डेटा दिया है। हालांकि अभी इन्हें वोटर आईडी से जोड़ा नहीं गया है।

वोटर आईडी-आधार जुड़ेगा, बूथवार डेटा जारी...

आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, वोटिंग के दिन बूथ पर न मोबाइल की अनुमति होती है, न इंटरनेट होता है। आंकड़े फॉर्म 17सी में दर्ज होते हैं, जिसे हर प्रत्याशी और पार्टी को दिया जाता है। मतदान की रात डेटा अपलोड करना संभव नहीं। सिंघवी ने कहा, आंकड़े देना पारदर्शिता के लिए जरूरी है। मनिंदर ने कहा, 'अब नए निर्वाचन आयुक्त हैं। याची चिंताएं और सुझाव रख सकते हैं। कोर्ट ने याचिओं को 10 दिन में आयोग को प्रतिवेदन देने व आयोग से इस पर रिपोर्ट देने को कहा है।

राहुल बोले- कोई मताधिकार से वंचित न हो: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह कांग्रेस व इंडिया गठबंधन द्वारा उठाए मुद्दों की स्वीकारोक्ति है। वोटर लिस्ट में अनियमित नाम जोड़ने, बिना कारण हटाने और डुप्लीकेट आईडी की समस्या लगातार बनी है। गरीब नागरिकों को आधार लिंकिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। आयोग सुनिश्चित करे कि कोई भारतीय मताधिकार से वंचित न हो और निजता की चिंताओं का समाधान हो।

पत्रिका

चुनाव आयोग का निर्णय : लेंगे तकनीकी सलाह

कानून का पालन करते हुए आधार से जोड़ेंगे वोटर कार्ड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किए बिना आधार कार्ड को वोटर आइडी को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर चुनाव आयोग ने यूआइडीएआइ के सीईओ, केंद्रीय गृह सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। बैठक में तय किया गया कि देशभर में वोटर कार्ड के एपिक नंबर को आधार से जोड़ने के लिए जल्द विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी।

चुनाव आयोग ने बताया कि तकनीकी सलाह के बाद ही पता लग सकेगा कि वोटर कार्ड नंबर को आधार के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मंगलवार को निर्वाचन सदन में यह अहम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मैतेयी और यूआइडीएआइ के सीईओ के अलावा आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए।

हमारी शिकायतों का नतीजा : कांग्रेस

कांग्रेस ने दावा किया कि आयोग का यह कदम महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूचियों के मिलान में गड़बड़ी की उसकी शिकायतों का नतीजा है। कांग्रेस ने अब चेतावनी दी है कि आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी पात्र नागरिक को वोट देने से वंचित न किया जाए व किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन न हो।

19/03/2025 | Jaipur City | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

‘आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की कार्यवाही जल्द शुरू होगी’

जयपुर, 18 मार्च। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एक बैठक में फैसला लिया कि उसके द्वारा जारी किये गये मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जायेगा। दरअसल मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने

- **भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अफसरों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में लिया गया यह अहम् फैसला।**

गृहमंत्रालय के सचिव, विधायिकी विभाग के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अफसरों व तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दैनिक नवज्योति jaipur city - 19 Mar 2025 - Page 1

राष्ट्रीय

चैत्र, कृष्ण पक्ष, पंचमी संवत 2081

पृष्ठ संख्या 14 | मूल्य 3.00

वोटर आईडी से लिंक होगा आधार

मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया जाएगा काम : चुनाव आयोग

ब्यूरो/एजेंसी/नई दिल्ली। मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तकनीक विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग व यूआईडीएआई के सीईओ के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया है। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू व डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे।

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

फर्जी नामों की होगी पहचान

सूत्रों के मुताबिक बैठक में इससे जुड़े सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सामने रखा गया। इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए तैयार किए एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इससे किसी भी तरह का डाटा एक-एक दूसरे के साथ साझा नहीं होगा। यह सिर्फ मतदाताओं को प्रमाणित करेगी। साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए मतदाताओं की पहचान को सामने लाएगी। आधार से ईपिक के जुड़ने से मतदाताओं को भी लाभ होगा।

ईपिक में बदलाव भी होगा आसान

दरअसल एए मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति तब आधार में अपना पता बदल लेता है लेकिन ईपिक को बदलने की कोशिश बहुत कम करते हैं। आधार से जुड़ने के बाद ईपिक में बदलाव भी आसान हो जाएगा। आयोग ने बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक हो। और यह बात सिर्फ आधार से प्रमाणित हो सकती है। यही वजह है कि इसे आधार जोड़ना जरूरी है।

सभी कानूनी पहलुओं को देखा

आयोग के मुताबिक इस फैसले से पहले संविधान से जुड़ी धारा 23 (4), (5) और (6) के भी कानूनी पहलुओं को देखा गया है। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को भी ध्यान में रखा गया है जिसमें आधार को आवश्यक नहीं किया गया था।

यह होगा फायदा

- मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेंगे।
- मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होंगी।
- मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी।
- राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएगी।
- मतदाता सूची में अलग-अलग जगहों से कोई जुड़ नहीं सकेगा।

66 करोड़ मतदाताओं के आधार आयोग के पास

चुनाव आयोग के मुताबिक देश में मौजूदा समय में 99 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 66 करोड़ से अधिक के आधार आयोग के पास स्वैच्छिक रूप से ही उपलब्ध है। ऐसे में इस प्रक्रिया में आयोग को सिर्फ बाकी के 33 करोड़ मतदाताओं के ही आधार जुटाने की नई चुनौती रहेगी।

राष्ट्रदूत जयपुर, 19 मार्च, 2025

'आधार कार्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मुद्दे पर निर्णय लिया गया।

इस बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट कई आदेश और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 23 और संविधान के अनुछेद 326 के अनुसार भारत के चुनाव में भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकता है। बैठक में यह भी कहा गया कि आधार कार्ड ही एक भारतीय नागरिक का पहचान पत्र है। इसलिए आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जाना अनिवार्य है।

जारी प्रेस नोट के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और भारतीय निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञों के बीच परामर्श जारी है और जल्दी ही दोनों पहचान पत्रों को जोड़ने / लिंक करने की कार्यवाही शुरू होगी।

पंजाब केसरी
WED, 19 MARCH 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

मतदाता पहचान पत्र जुड़ेगा आधार से

कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर होगा काम

नई दिल्ली, 18 मार्च (एजैंसी): निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा।

निर्वाचन आयोग और यूआईडीएआई विशेषज्ञ जल्द करेंगे परामर्श

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय में), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ के साथ बैठक की। सरकार ने अप्रैल 2023 में एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि आधार के विवरणों को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने का काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने बताया कि यह कार्य 'प्रक्रिया संचालित' है और प्रस्तावित कार्य के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है। आधार केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसमें कहा गया है, **(शेष पृष्ठ 13 कालम 1 पर)**

EC, HOME, LAW, IT, UIDAI MEET

Voter, Aadhaar databases will link, opt-out option to stay

But voters declining to share Aadhaar number will have to explain why

RITIKA CHOPRA
NEW DELHI, MARCH 18

THE ELECTION Commission of India (ECI) will work with the Unique Identification Authority of India (UIDAI) to link its voter records with the Aadhaar database, while the Law Ministry will amend Form 6B to clarify that providing Aadhaar details remains voluntary, though voters declining to share this information must explain their reasons, *The Indian Express* has learned.

These decisions were made at a high-level meeting held on Tuesday between senior officers of the ECI and the Home Ministry, Law Ministry, IT Ministry and UIDAI.

The meeting, the first one between the Commission and the Union Government this year, was attended by Home Secretary Govind Mohan; MEiTY Secretary S Krishnan; Legislative Department Secretary Rajiv Mani and UIDAI CEO Bhuvnesh Kumar.

EXPLAINED

E.

How Form 6B will change

FORM 6B lacks options for electors to abstain from providing Aadhaar, offering only two choices: either provide Aadhaar or declare, "I am not able to furnish my Aadhaar because I don't have Aadhaar number." This will be amended but voter will have to offer an explanation why she is not providing her Aadhaar.

STAND VINDICATED: CONG WELCOMES EC MOVE PAGE 2

It was held against the backdrop of the Opposition INDIA bloc parties alleging irregularities in

CONTINUED ON PAGE 2

• Voter, Aadhaar databases will link, opt-out option to stay

electoral rolls in different parts of the country.

In an hour-long discussion, the ECI and government officials are learned to have discussed the pros and cons as well as the legalities associated with linking the voter database with that of Aadhaar.

Currently, the Commission, up to 2023, had collected Aadhaar details of over 66 crore voters, who had "voluntarily" offered it. But the two databases for these 66 crore voters haven't been linked. In other words, Aadhaar hasn't been used to weed out duplicate entries or enable clean-up of electoral rolls. Going forward, the electoral watchdog will work with UIDAI to figure out how to link the two databases, at least for those voters who have voluntarily offered the information to ECI.

While the Commission's statement on Tuesday's meeting did not categorically state this, it said linking will be done in accordance with Sections 23(4), 23(5) and 23(6) of the Representation of the People Act, 1950 and that "technical consultations between UIDAI and the technical experts of ECI are to begin soon". Sections 23(4), 23(5) and 23(6) of the RP Act 1950 deal with the Electoral Registration Officer's authority to request Aadhaar for voter identity verification, the process for existing voters to voluntarily submit Aadhaar numbers, and protections ensuring no one can be denied voter registration or removed from electoral rolls for failing to provide Aadhaar information.

Further, it was also decided that Form 6B (which was introduced to collect Aadhaar numbers of voters) will be amended by the Union Law Ministry by way of a gazette notification to remove ambiguity on whether sharing this information is voluntary. Currently, Form 6B lacks options for electors to abstain from providing Aadhaar, offering two choices: either provide the Aadhaar number or declare, "I am not able to furnish my Aadhaar because I don't have Aadhaar number."

This will be amended to remove restrictive options, but the voter will have to offer an explanation why she is not providing her 12-digit unique identity number, *The Indian Express* has learned. This amendment is expected soon, before the Assembly polls in Bihar later this year.

The change will be in line with ECI's commitment before the top court (in G Niranjan vs ECI) in September 2023 that it is looking into issuing "appropriate clarificatory changes in the forms introduced for that purpose" to ensure that voters understand the exercise is voluntary.

The decisions have been made against the backdrop of recent row over duplicate voters cards. Opposition Trinamool Congress has raised concerns over identical voter card numbers assigned to citizens in different states, accusing the EC of "manipulating voters' lists to benefit the BJP". This sentiment was recently reinforced by Opposition leader Rahul Gandhi during a Lok Sabha session recently. The controversy gained momentum when TMC chief and West Bengal CM Mamata Banerjee highlighted the issue of duplicate EPIC numbers at her party's gathering in Kolkata. She alleged the BJP was working with EC to tamper with voter lists.

In response, the EC acknowledged the problem, explaining that some state Chief Electoral Officers had incorrectly utilised alphanumeric sequences when generating EPIC numbers. It clarified that identical card numbers don't necessarily indicate fraudulent voters, as other identifying information—such as demographic details, constituency assignment, and polling station — remain distinct for each individual. To resolve the issue, the EC has committed to issuing replacement EPIC numbers to affected voters within a three-month timeframe.

वोटर आईडी से लिंक होगा आधार

मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया जाएगा काम : चुनाव आयोग

नई दिल्ली। मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तकनीक विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग व यूआईडीएआई के सीईओ के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया है। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू व डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे।

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

फर्जी नामों की होगी पहचान

सूत्रों के मुताबिक बैठक में इससे जुड़े सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सामने रखा गया। इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए तैयार किए एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इससे किसी भी तरह का डाटा एक-एक दूसरे के साथ साझा नहीं होगा। यह सिर्फ मतदाताओं को प्रमाणित करेगी। साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए मतदाताओं की पहचान को सामने लाएगी। आधार से ईपिक के जुड़ने से मतदाताओं को भी लाभ होगा।

ईपिक में बदलाव भी होगा आसान

दरअसलए मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति तब आधार में अपना पता बदल लेता है लेकिन ईपिक को बदलने की कोशिश बहुत कम करते हैं। आधार से जुड़ने के बाद ईपिक में बदलाव भी आसान हो जाएगा। आयोग ने बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक हो। और यह बात सिर्फआधार से प्रमाणित हो सकती है। यही वजह है कि इसे आधार जोड़ना जरूरी है।

सभी कानूनी पहलुओं को देखा

आयोग के मुताबिक इस फैसले से पहले संविधान से जुड़ी धारा 23 (4), (5) और (6) के भी कानूनी पहलुओं को देखा गया है। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को भी ध्यान में रखा गया है जिसमें आधार को आवश्यक नहीं किया गया था।

यह होगा फायदा

- मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेंगे।
- मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होंगी।
- मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी।
- राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएगी।
- मतदाता सूची में अलग-अलग जगहों से कोई जुड़ नहीं सकेगा।

66 करोड़ मतदाताओं के आधार आयोग के पास

चुनाव आयोग के मुताबिक देश में मौजूदा समय में 99 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 66 करोड़ से अधिक के आधार आयोग के पास स्वैच्छिक रूप से ही उपलब्ध है। ऐसे में इस प्रक्रिया में आयोग को सिर्फ बाकी के 33 करोड़ मतदाताओं के ही आधार जुटाने की नई चुनौती रहेगी।

दैनिक भोर, श्रीगंगानगर, 19 मार्च 2025

आधार से जुड़ेंगे मतदाता पहचान पत्र

नई दिल्ली, 18 मार्च। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। अब देश के लोगों को अपनी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। फर्जी मतदान और फेक वोटर आईडी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। अब देश के लोगों को अपनी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि वोटर आईडी कोर्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, जल्द ही चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के विशेषज्ञ आधार-वोटर कार्ड लिंकेज पर तकनीकी परामर्श शुरू करेंगे। इसके बाद लिंक करने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने जारी किया ये बयान

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ना केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 (4), 23 (5) और 23 (6) के प्रावधानों के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (2023 के) के अनुरूप किया जाएगा। आयोग ने कहा कि कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है।

दैनिक लोकसम्मत, श्रीगंगानगर, 19 मार्च 2025

वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी

चुनाव आयोग-गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला; प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी।

आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था।

चुनाव आयोग ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, एमईआईटीवाई सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ के साथ वोटर (**शेष पृष्ठ 2 पर...**)

लिंक करने की अभी क्या प्रक्रिया है

कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में बताया है कि आधार-वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे।

चुनाव आयोग ने अप्रैल 2025 से पहले सुझाव मांगे

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के सूत्रों के अनुसार, वोटर-आधार को लिंक करने का मकसद आगामी चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समावेशिता और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। चुनाव आयोग 31 मार्च से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के लेवल पर मीटिंग करेगा।

इसके लिए पिछले 10 साल में पहली बार चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर सभी राष्ट्रीय और (**शेष पृष्ठ 2 पर...**)

दैनिक प्रशांत ज्योति, श्रीगंगानगर, 19 मार्च 2025

आधार कार्ड से लिंक होगा मतदाता पहचान पत्र

केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक में हुआ फैसला

नई दिल्ली (ईएमएस)। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय में), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक की।

सरकार ने अप्रैल 2023 में एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया था कि आधार के विवरणों को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने का काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने बताया कि यह कार्य च्रक्रिया संचालित है और प्रस्तावित कार्य के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे।

चुनाव आयोग एपिक नंबर को आधार से लिंक करने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम, 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू किया जाएगा। डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर हटाने के लिए चुनाव आयोग ने 3 महीने की समय सीमा तय की है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर का मुद्दा उठाया था।

चुनाव आयोग का कहना है कि आधार नंबर के आधार पर एपिक नंबर नहीं बनाया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, वही आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। कानून के अनुसार, नागरिकता एपिक का आधार है। वही बायोमेट्रिक्स आधार कार्ड का आधार है।

दैनिक जनमार्ग, श्रीगंगानगर

● श्रीगंगानगर, बुधवार, 19.03.2025 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य: 2 रुपये ● मो. 93526-8608

वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी

● चुनाव आयोग-गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला ● प्रक्रिया पर जल्द शुरु होगी एक्सपर्ट की चर्चा

जनमार्ग न्यूज

नई दिल्ली। चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के विशेषज्ञ जल्द ही आधार-वोटर कार्ड लिंक करने पर तकनीकी परामर्श शुरू करेंगे। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में बताया है कि आधार-वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने निर्वाचन सदन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ तथा चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। कहा गया कि इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ जल्द ही आगे की चर्चा करेंगे। संविधान में भी वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का प्रावधान है।बताया जाता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23, जिसे चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाता के मुताबिक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मौजूदा या भावी मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या प्रदान करने की मांग कर सकते हैं।